

परिशिष्ट सारणी V.15: वित्तीय संकेतक: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

(राशि ₹ लाख में)

राज्य	2016-17				2017-18				कर्ज की तुलना में एनपीए का अनुपात (प्रतिशत में)		वसूली अनुपात (प्रतिशत में) (जून के अंत में)	
	लाभ		हानि		लाभ		हानि		2017	2018	2017	2018
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>23</b>	<b>1,058</b>	<b>122</b>	<b>46,163</b>	<b>20</b>	<b>853</b>	<b>125</b>	<b>50,635</b>	<b>50.3</b>	<b>57.0</b>	<b>22.1</b>	<b>21.4</b>
हरियाणा	0	0	19	16,509	0	0	19	23,401	68.6	74.8	15.5	16.4
हिमाचल प्रदेश	0	0	1	972	0	0	1	253	29.9	37.3	58.7	51.6
पंजाब	5	194	84	23,914	6	459	83	20,833	45.0	56.3	19.6	19.6
राजस्थान	18	864	18	4,768	14	395	22	6,147	42.5	40.4	33.9	30.1
<b>मध्य क्षेत्र</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>8</b>	<b>894</b>	<b>16</b>	<b>2,563</b>	<b>7</b>	<b>965</b>	<b>17</b>	<b>3,960</b>	<b>40.6</b>	<b>32.9</b>	<b>36.7</b>	<b>40.0</b>
ओडिशा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	8	894	16	2,563	7	965	17	3,960	40.6	32.9	36.7	40.0
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>205</b>	<b>4,789</b>	<b>227</b>	<b>18,532</b>	<b>230</b>	<b>10,925</b>	<b>202</b>	<b>9,252</b>	<b>19.7</b>	<b>27.3</b>	<b>74.2</b>	<b>66.1</b>
कर्नाटक	23	644	154	8,370	38	1,064	139	6,877	13.3	19.3	50.9	48.9
केरल	22	914	53	9,898	32	6,630	43	2,111	22.6	31.1	76.3	62.2
तमिलनाडु	160	3,231	20	264	160	3,231	20	264	14.6	14.6	85.3	-
<b>अखिल भारतीय</b>	<b>236</b>	<b>6,741</b>	<b>365</b>	<b>67,258</b>	<b>257</b>	<b>12,743</b>	<b>344</b>	<b>63,846</b>	<b>33.0</b>	<b>38.4</b>	<b>44.3</b>	<b>41.1</b>

टिप्पणियां : 1. पूर्णांकन के कारण घटकों को वास्तविक कुल में नहीं जोड़ा गया है।

2. 2014-15 के दौरान छत्तीसगढ़ के अल्पावधिक सहकारी ऋण संरचना को दीर्घावधिक के साथ सम्मिलित किया गया था। उसी प्रकार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की संरचनाएं अब लागू नहीं हैं।

3. वित्तीय वर्ष के लिए वसूली 30 जून तक ली गई है।

4. केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए 2016-17 का डेटा अनंतिम है।

5. 8 पीसीएआरडीबी के लिए 2017-18 का डेटा अनंतिम है।